




Corrigendum


पूर्ण कालीन बिड सूचना संख्या अधि.अभि. पीआरएन (उत्तर)/01/2021-22 दिनांक 21.09.2021 के द्वारा कार्य "Repair and Maintenance work at chitrakoot & Mansarovar JDA office building of DC PRN North & South office, JDA, Jaipur (ARC, Phase-II)" आमंत्रित की गई थी। जिसमें कार्य की अन्तिम Submission दिनांक 30.09.2021 थी। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(24)नविवि/1/2020 लूज जयपुर, दिनांक 20.09.2021 के अनुसार "निविदाओं में संवेदकों द्वारा बी.एस.आर. दर से कम दर डालने पर अन्तर राशि (At Par की दर से जितनी कम है) वर्क परफोरमेंन्स गारन्टी के रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ली जायेगी तथा इस कार्य के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात दोष निवारण अवधि में कार्य की स्थिति सन्तोषजनक पाये जाने पर दोष निवारण अवधि उपरान्त वापास लोटा दिया जायेगा। अन्तर राशि जमा नहीं कराने पर BID Security की राशि नियमानुसार जब्त कर ली जावे। यदि संवेदक वर्क परफोरमेंन्स गारन्टी राशि जमा कराने के पश्चात कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण नहीं करता है अथवा दोष निवारण अवधि में कार्य में खराबी होती है तो उसकी वर्क परफोरमेंन्स गारन्टी की राशि जब्त कर ली जावे एवं अनुबन्धानुसार अन्य कार्यवाही भी संपादित की जावे।" (आदेश संलग्न) उपरोक्त शर्त को Bid Document की Speical Conditions के बिन्दु संख्या 30 एवं Other Conditions की बिन्दु संख्या 8 के स्थान पर जोडा जाता है। अर्थात Bid Document की Speical Conditions की बिन्दु संख्या 8 जो पूर्व में थी उसको न मानकर उपरोक्त नई शर्त को माना जावे। अन्य शर्तें एवं समय आदि यथावत रहेंगे।

  
27/09/21  
(प्रमोद कटेवा)

अधिशाषी अभियन्ता पीआरएन (उत्तर)

प्रतिलिपि :-

1. विशेषाधिकारी (जनसंपर्क), जविप्रा, जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त संशोधन का प्रकाशन शीघ्र करवाने का श्रम करें।
2. नोटिस बोर्ड, जविप्रा, जयपुर।

  
(प्रमोद कटेवा)

अधिशाषी अभियन्ता पीआरएन (उत्तर)



राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक:- प.01(24)नविवि/1/2020 लूज

जयपुर, दिनांक-20 SEP 2021

आदेश

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अर्न्तगत विभिन्न विकास कार्यों की निविदाओं में संवेदकों द्वारा बी.एस.आर. दर से कम दर डालने पर अन्तर राशि (AT PAR की दर से जितनी कम है) बर्क परफोरमेंस गारन्टी के रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ली जाएगी तथा इसे कार्य के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात दोष निवारण अवधि में कार्य की स्थिति सन्तोषजनक पाए जाने पर, दोषनिवारण अवधि उपरान्त वापस लौटा दिया जावेगा। न्यूनतम दरदाता की बोली नियमानुसार स्वीकृत कर Letter of acceptance (LOA) जारी किया जावेगा एवं बी.एस.आर. दर से कम दर की अन्तर राशि की BG/FDR/NSC प्रस्तुत करने हेतु 14 दिवस का समय दिया जायेगा। अन्तर राशि जमा नहीं कराने पर BID SECURITY की राशि नियमानुसार जब्त कर ली जावे। यदि संवेदक बर्क परफोरमेंस गारन्टी राशि जमा कराने के पश्चात कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण नहीं करता है अथवा दोष निवारण अवधि में कार्य में खराबी होती है तो उसकी बर्क परफोरमेंस गारन्टी की राशि जब्त कर ली जावे एवं अनुबन्धानुसार अन्य कार्यवाही भी संपादित की जावे। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते है। यह आदेश उन सभी निविदाओं पर लागू होगा जो कि भविष्य में जारी होगी तथा वे निविदाएं जो इस आदेश के जारी होने की दिनांक तक अप्राप्त है, इस सम्बन्ध में निविदा दरतावेजों में आवश्यक संशोधन तुरन्त संबन्धित उपापन अधिकारी द्वारा किया जावे एवं नवीन सभी निविदाओं में उक्त शर्तों का समावेश किया जाना सुनिश्चित किया जावे।


यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(कुन्जीलाल मीना)  
प्रमुख शासन सचिव  
नगरीय विकास विभाग

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. वरिष्ठ उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर, आबू, बाडमेर, भरतपुर, बीकानेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ़, जैसलमेर, पाली, कोटा, उदयपुर, सीकर, श्रीगंगानगर एवं सवाईमाधोपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
नगरीय विकास विभाग